

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2012

INCOME-TAX

S.O. 2261(E).- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (13th Amendment) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 17C, after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:-
“(viii) investment in debt instruments issued by any infrastructure Finance Company registered with the Reserve Bank of India.”

[Notification No. 40/2012/ F.No. 149/32/2012-SO(TPL)]

(Ashish Kumar)
Director (Tax Policy and Legislation)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969(E) dated 26th March, 1962 and was last amended by notification number S.O. 2188(E) 17th September, 2012.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 20 सितंबर, 2012

आय-कर

का.आ. 2261(अ)--केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 17ग में, खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(viii) भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रीकृत किसी भी अवसंरचना वित्त कंपनी द्वारा जारी ऋण विलेखों में निवेश।”

[अधिसूचना सं० 40/2012/एफ. सं० 149/32/2012 (ए.पी.एल.)]

आशीष कुमार

(आशीष कुमार)

निदेशक (कर नीति एवं विधान)

टिप्पण -- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार का.आ. सं. 2188 (अ), तारीख 17.09.2012 द्वारा संशोधित किए गए।